राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिटठू बनाम रामावतार

778/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 22/04/2026 को पेश हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
22/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम गोपीरामपुरा, तहसील चाकसू की भूमि खसरा नम्बर 266 रकबा 0.83 है., खसरा नम्बर 279 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.56 है., खसरा नम्बर 285 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 286 रकबा 0.68 है, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 290 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 291 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 292 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 302 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 303 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 304 रकबा 0.35 है, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 306 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.31 है.. खसरा नम्बर 317 रकबा 0.17 है., कुल किता 25 रकबा 7.14 वादी के दादा नारायण पुत्र सूखा जाति मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी नारायण के पूर्वजों की छोड़ी हुई सम्पत्ति है जिसका वादी का जन्मजात हित व अधिकार निहित है। वादी अपने पूर्वजों के जमाने से निरन्तर भूमि पर काबिज व काश्त है। वादी के तथाकथित दत्तक पिता कानाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसकी बेवाह मूली देवी भी मर चुकी है। उसकी तीन पुत्रियां मीटू, पांची व छोटा है, चूंकि मीणा समूदाह पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती तथा पुरूष वारिस के रहते हुये कोई हक पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को नहीं होता इसलिये पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में वादी की दत्तक माता मूली देवी ने एक प्रतिज्ञा पत्र तस्दीक किया है जिसके आधार पर वादी की पैतृक सम्पत्ति होने से वादी को 1/4 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वादी के खसरा नम्बरान में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिटठू बनाम रामावतार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/2023	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द शर्मा ने वकालतनामा मय जवाब वाद पेश किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा का अंकन करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01/02/2017 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी पर बहस करते हुये मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रिकार्डेड खातेदार नारायण पुत्र सुखा के नाम दर्ज भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि है एवं नारायण पुत्र सुखा के पुत्र स्व. कानाराम का अपीलार्थी एक मात्र वारिस है, जिससे विवादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का जन्म से ही हित व हिस्सा निहित रहा है परन्तु अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये बगैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाये गये है, जिससे अपीलार्थी के हित भी प्रभावित हुये है। इस सम्बन्ध में वाद पत्र का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी के कथनों की ताईद होती है कि विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। ऐसेमें अपीलार्थी का प्रभावित पक्षकार होना स्पष्ट होता है एवं चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहे है, ऐसेमें डिले कन्डोन हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते है। अत: प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद स्वीकार किये जाते है। जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से सरसरी और पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। कानूननलो अदालत में भी सभी पक्षकारान की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष सहमति दर्शाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जा सकता है अन्यथा विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओ के अनुसार गुणावगुण पर घोषणा के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मिटठू बनाम रामावतार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	778/2023	

निर्णय व डिक्री निरस्त कर अपीलार्थी का पक्षकार समायोजित कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/02/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को पक्षकार समायोजित कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 22/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी